कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक–2691 / FP/UK/ROAD/151193/2022 : देहरादून:दिनांक: 7-मई, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषयः–जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चिलेडी–मणजूली मोटर मार्ग के कि0मी0 6 कि0मी0 2–4 से चौरीखाल–सिरवाडी–काण्डा मोटर मार्ग हेतु 0.9975 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर को हस्तांतरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–आपका पत्रांक 2191/12–1 दिनांक 26.04.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑनलाईन दिनांक 27.04.2022 को एवं प्रस्ताव की 03 हार्ड प्रति आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा दिनांक 29.04.2022 को प्राप्त हुई है। आप द्वारा प्रस्तुत हार्ड प्रति के गहन अवलोकन करने के पश्चात निम्न प्रकार प्रस्ताव में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है:–

1. Part-I के A-1 के (iii) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण लिखा जाना अपेक्षित है।
2. प्रस्ताव के कियान्वयन से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्याकंन (प्रारूप–20) प्रारूप को पूर्ण रूप से भर कर संलग्न किया जाय।
3. प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप–19 एवं प्रारूप–20 में बांज वृक्षों की संख्या में भिन्नता पायी गयी है एवं प्रभावित होने वाले बांज वृक्षों के सम्बन्ध में सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर का प्रमाण–पत्र अपेक्षित है।
4. प्रस्ताव में संलग्न पथ वृक्षारोपण योजना में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।
5. मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाली सिविल भूमि के स्वामित्व का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय। इसके अतिरिक्त भू–स्वामियों के अनापत्ति प्रमाण–पत्र में खसरे नं0 भी अंकित किये जाय।
6. परियोजना निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का अंग्रेजी/वैज्ञानिक/स्थानीय नाम अंकित करते हुये प्ररूप Additional Column में अपलोड किय जाये।
7. एन0पी0वी0 की देय धनराशि का आंकलन नई दरों से किया जाना अपेक्षित हैं। इसके अतिरिक्त प्रपत्र ऑनलाईन पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करते हुये प्रस्ताव में भी संलग्न किया जाये।
8. प्रस्ताव में अपलोड के0एम0एल0 फाईल में मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल अंकित नही है। मलवा निस्तारण हेतु चयनित स्थलों को के0एम0एल0 में यथास्थान अंकित करने का कष्ट करें।

उक्त आपत्तियों के निराकरण करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी को अपने स्तर से निर्देशित करते हुये कमियों का पूर्ण निराकरण कर हार्ड मूल प्रति सहित (03 प्रतियों में) ऑनलाईन/ऑफलाईन इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

पत्रांक 2691 / FP/UK/ROAD/44587/2020 तद्दिनांकित।

1. प्रतिलिपिः–प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण करवाकर प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।
2. प्रतिलिपिः–अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर, मु0–कीर्तिनगर, को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर भलि–भांति अवलोकन कर आपत्तियों का निराकरण करने के पश्चात प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी